



जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-5192134

प्रेस नोट-30 जून, 2014

ADB का ऋण औपचारिकताएँ पूर्ण होने के साथ हुआ प्रभावी

जयपुर, 30 जून। जयपुर मेट्रो के चरण 1-बी हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) से (176 अमेरिकी मिलियन डॉलर) 969 करोड़ रूपये के ऋण हेतु आवेदन किया गया था। इस ऋण हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) के साथ एक करार नई दिल्ली में दिनांक 29.05.2014 को तत्कालीन प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार श्री देवन्द्र भूषण गुप्ता व जयपुर मेट्रो के सीएमडी श्री निहाल चंद गोयल द्वारा निष्पादित किया गया था। इसी क्रम में उक्त स्वीकृत ऋण के प्रभावी होने से पूर्व परियोजना करार व ऋण करार पर क्रमशः राजस्थान राज्य के महाअधिवक्ता व भारत के महान्यायवादी द्वारा विधिक राय प्राप्त करने के पश्चात् उसे भारत सरकार के आर्थिक मामलात मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, जिसका अनुमोदन ADB द्वारा प्राप्त होने से आज दिनांक 30 जून, 2014 से यह ऋण प्रभावी हो गया है। इस ऋण के प्रभावी होने से जयपुर मेट्रो के 1-बी चरण हेतु धन की उपलब्धता हो गयी है, जयपुर मेट्रो अब इस धन राशि का उपयोग करके इस चरण को क्रमवार सम्पूर्ण कर सकेगा।
